

सर्वकल ऑफिस आरा, दूसरी मंजिल, रीगल होटल, आरा-802301

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

[illegible]

ट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी

कुमार, गुड्डे कुमार साहल अन्य सभी
अभियोजन की तैयारियों में जुटे हैं।

स्थान : पटना
दिनांक : 09.10.2026

गौर विषय भी स्थिति में अग्रणी पाठ मान्य होगा।

श्रीधर कुमार
युनियन बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब बीजाबात बैंक



Punjab National Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)

सर्कल ऑफिस आरा, दूसरी मंजिल, रीगल होटल, आरा-802301

अचल सम्पत्ति के चिक्री हेतु चिक्री सूचना

प्रतिपत्ति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित विनीय अधिनियमों के प्रतिपत्तिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिपत्ति हित प्रावर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आसितियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी चिक्री सूचना।

एनएलए सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास सुरक्षित बंधक है, जिसका स्वामित्व मौलिक/सांकेतिक कच्चा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, सर्वोपरि उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि को वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और व्यापार राशि संबंधित संवत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होंगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाराखा का नाम		बंधक राशि एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण/ मौलिक का नाम (सम्पत्ति यों) का बंधककर्ता)	क) सरकारी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि ग) सरकारी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कच्चा की तिथि घ) कच्चे का प्रकार सांकेतिक/मौलिक/स्वामित्वक ङ) बिजली सूचना के अनुसार बकाया राशि	क) आरक्षित मूल्य ख) ईएमडी ग) बोली बृद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञान प्राप्त होने का विवरण
	खाना का नाम	कलेक्टर/ जमानतदार का नाम एवं पता					
गंगासा (278400):			धूमि यहाँ स्थित है: मौजा-मुआर, थाना संख्या: 182 थाना: रामगढ़, जिला- कैमूर, इलाहा संख्या: 5 खाला संख्या- 212, प्लॉट संख्या- 2308, चौहद्वी: (वर्तमान में वास्तविक): उत्तर-रामगढ़ देवदलगा रोड, दक्षिण- निज, पूर्व- राजेंद्र सिंह, पश्चिम- संजु देवी बन्धककर्ता- 1. संजु देवी पति अवधेश सिंह	क) 14.12.2018 ख) रु.19,56,162/- ग) बकाया आंशिक ब्याज एवं अन्य शुल्क घ) 02.03.2019 ङ) रु. 46,07,259/- + बकाया अंशिक ब्याज एवं अन्य शुल्क	क) रु.9,76,500/- ख) रु.97,650/- ग) रु.50,000/-	दिनांक 27.10.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

1. चिक्री सूचना हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तें निम्नलिखित के अधीन होंगी।

2. संवत्तियों "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेची जा रही है।

3. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संवत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4. चिक्री अभ्योदयकारी द्वारा वेबसाइट <https://bhaaniknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 27/10/2026 को दोपहर 12:00 बजे से साय 04:00 बजे तक की जाएगी।

5. चिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया <https://bhaaniknet.com> और www.pnbindia.in देखें।

नोट:- विवाद की स्थिति में अग्रणी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी